फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेसटमेंट एवं फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय डेयर हाउस प्रथम तल, 2, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड़ चेन्नई जरिये क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (राज.) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री गगन वर्मा पुत्र श्री सतीश चन्द्र वर्मा उम्र 38 वर्ष, सीनियर मेनेजर

–प्रार्थी / सिक्योर / केडिटर

बनाम

1. श्री शिव कुमार शर्मा पिता श्री देवकृष्ण शर्मा, निवासी दरोगा वाली गली, कठेड़ावाली चौकी, मंदिर परिक्रमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
2. श्रीमति अरूणा शर्मा पत्नि श्री शिव कुमार शर्मा, निवासी दरोगा वाली गली, कठेड़ावाली चौकी, मंदिर परिक्रमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद
3. मैसर्स शर्मा बुक डिपो, दुकान नंबर 65, देहली बाजार, नाथद्वारा जिला राजसमंद

–अप्रार्थीगण / ऋणी / सहऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 21 / 2022**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेसटमेंट एवं फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर (राज.) ने दिनांक 10.01.2022 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी / ऋणी को रूपये 24,54,643 रू. की ऋण सुविधा दिनांक 31.10.2018 को जरिये ऋण खाता संख्या X0HERJD00002643223 से होम इक्विटी लोन की ऋण सुविधा बाबत उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणियों / सहऋणीयों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में अन्य संपत्तियों के साथ साथ श्री शिव कुमार शर्मा पिता श्री देवकृष्ण शर्मा, निवासी दरोगा वाली गली, कठेड़ावाली चौकी मंदिर परिक्रमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद एवं श्रीमति अरूणा शर्मा पत्नि श्री शिव कुमार शर्मा, निवासी दरोगा वाली गली, कठेड़ा वाली चौकी, मंदिर परिक्रमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित है, के आवासीय मकान का पट्टा विलेख दिनांक 25.07.2018 क्रम संख्या 480 जो कि उपपंजीयक कार्यालय नाथद्वारा जिला राजसमंद में दिनांक	

न्यायालय जिला कलक्टर

07.08.2018 को क्रम संख्या 201803271101647 पर पंजीबद्ध है, को अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त आवासीय जायदाद को मय चैनल दस्तावेज के प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यक बंधक 31.10.2018 को किया था व ऋण अनुबंध पत्र दिनांक 31.10.2018 को निष्पादित किया था। उक्त ऋण के पेटे अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त आवासीय जायदाद को साम्यिक बंधक रखा गया है, किंतु अप्रार्थी/ऋणी ने दिनांक 24.03.2021 से व इसके बाद देय ब्याज एवं किश्तों का उक्त ऋण सुविधा खाते में पूर्ण भुगतान नहीं किया है तथा अप्रार्थी/ऋणी ने उक्त ऋण सुविधा खाते का तयसुदा शर्तो अनुसार संचालन नहीं किया है। इस कारण अप्रार्थीगण/ऋणी का उक्त सुविधा खाता अनियमित हो जाने व प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को खाते की अनियमितता के बारे में जानकारी के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक कार्यवाही न किये जाने के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण का उक्त ऋण सुविधा खाता दिनांक 24.03.2021 को गैर निष्पादित आस्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत माना गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था संपूर्ण ऋण राशि मय ब्याज एवं खर्चो सहित प्राप्त करने के लिए ऋणदाता प्रार्थी वित्तीय संस्था के यहॉ रहन (साम्यिक बंधक) अचल संपत्ति को निलाम कर राशि प्राप्त करने लिये प्रार्थी वित्तीय संस्था के यहॉ बंधकसुदा संपत्ति का प्रार्थी ऋणदाता वित्तीय संस्था निलाम करने के लिये कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को प्रार्थी वित्तीय संस्था के नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से उक्त ऋण खाता दिनांक 24.03.2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिए गए व अप्रार्थी/ऋणी के उक्त ऋण खाता में कुलिया राशि 31,10,988.46 रूपये दिनांक 21.06.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलने से ऋणी (अप्रार्थी) एवं सहऋणी को दिनांक 21.06.2021 को उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ऋणी(अप्रार्थी) एवं सहऋणी को उनके ज्ञात पते पर प्रेषित किया गया जो भारतीय डाक विभाग के ट्रेककन्साइमेंट अनुसार दिनांक 09.07.2021 को श्री शिवकुमार शर्मा एवं श्रीमती अरूणा शर्मा को नोटिस की तामिल अप्रर्याप्त पत्ता नहीं होने से नहीं हुई एवं मैसर्स शर्मा बुक डिपो, नाथद्वारा को नोटिस की तामिल हो चुकी है। परंतु धारा 13(2) के नोटिस की मैसर्स शर्मा बुक डिपो को प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी ने प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी श्री शिवकुमार शर्मा, श्री देवकृष्ण शर्मा नि. नाथद्वारा जिला राजसमंद के स्वामित्व एवं आधिपत्य का श्री शिव कुमार शर्मा पिता श्री देवकृष्ण शर्मा,

निवासी दरोगा वाली गली, कठेड़ावाली चौकी मंदिर परिक्रमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद एवं श्रीमति अरूणा शर्मा पत्नि श्री शिव कुमार शर्मा, निवासी दरोगा वाली गली, कठेड़ा वाली चौकी, मंदिर परिक्रमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय मकान नपती 1228.24 वर्ग फीट का जो दरोगा वाली गली, कठेड़ावाली चौकी, मंदिर परिक्रमा, नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित है, के आवासीय मकान का पट्टा विलेख दिनांक 25.07.2018 क्रम संख्या 480 जो कि उपपंजीयक कार्यालय नाथद्वारा जिला राजसमंद में दिनांक 07.08. 2018 को क्रम संख्या 201803271101647 पर पंजीबद्ध है, जिसके पड़ौस निम्नानुसार है:–

(1) पूर्व में :– मकान श्री तुलसीदास नाई
(2) पश्चिम में :– मकान श्री घनश्याम सनाढ्य
(3) उत्तर में :– रास्ता
(4) दक्षिण में :– मकान श्री जमनाशंकर गौरवा

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा संपत्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का नोटिस दिनांकः 21.06.2021 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षीगण को उनके पते पर तामिल होने संबंधी भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइमेंट की प्रतिया पेश की गई। ट्रेक कन्साइमेंट की मैसर्स शर्मा बुक डिपो नाथद्वारा को नोटिस तामिल हो चुका है। उसके बावजुद भी अप्रार्थी/ऋणी, सहऋणी द्वारा ऋण की बकाया राशि मय ब्याज सहित का भुगतान नहीं किया गया है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेसटमेंट एवं फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक सम्पति का विवरण श्री शिव कुमार शर्मा पिता श्री देवकृष्ण शर्मा एवं श्रीमति अरूणा शर्मा पत्नि श्री शिव कुमार शर्मा, निवासी दरोगा वाली गली, कठेड़ा वाली चौकी, मंदिर परिक्रमा, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित है आवासीय

न्यायालय जिला कलक्टर

मकान नपती 1228.24 वर्ग फीट का जो दरोगा वाली गली, कठेड़ावाली चौकी, मंदिर परिक्रमा, नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित है, के आवासीय मकान का पट्टा विलेख दिनांक 25.07.2018 क्रम संख्या 480 जो कि उपपंजीयक कार्यालय नाथद्वारा जिला राजसमंद में दिनांक 07.08.2018 को क्रम संख्या 201803271101647 पर पंजीबद्ध है।

उपरोक्त प्रकराणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य को दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेसटमेंट एवं फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेसटमेंट एवं फाईनेन्स कंपनी लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)